भारत गणराज्य की सरकार और मालदीव गणराज्य की सरकार के बीच व्यापार करार

.....

भारत गणराज्य की सरकार और मालदीव गणराज्य की सरकार जिन्हें एतद्पश्चात संविदाकारी पक्ष कहा गया हैः

परस्पर लाभ आधार पर अपनी-अपनी विकास एवं व्यापार आवश्यकताओं तथा उद्देश्यों के अनुसार अपने देशों के बीच व्यापार तथा आर्थिक संबंधों के विकास एवं उसके सुदृढ़ीकरण की इच्छा सेः

निम्नानुसार सहमत हुई हैं :-

अनुच्छेद - I

संविदाकारी पक्ष अपने-अपने कानूनों, नियमों एवं विनियमों के कार्यढाँचे के भीतर अपने देशों के बीच व्यापार तथा आर्थिक संबंधों के विकास का संवर्धन करेंगे ।

अनुच्छेद II

प्रत्येक सरकार दूसरी सरकार के वाणिज्य को ऐसा व्यवहार प्रदान करेगी जो किसी तीसरे देश के वाणिज्य को प्रदत्त व्यवहार से कम अनुकूल नहीं होगा ।

अनुच्छेद-III

अनुच्छेद-II का प्रावधान निम्नलिखित को प्रदान करने या उसे जारी रखने से नहीं रोकेगाः-

(क) ऐसे विशेषाधिकार जो सीमावर्ती व्यापार को सुकर बनाने के लिए दोनों में से किसी सरकार द्वारा प्रदान किए गए हैं या किए जाने हैं ।

(ख) ऐसे लाभ या विशेषाधिकार जो दोनों में से किसी एक सरकार द्वारा अपने पड़ोसी देशों को प्रदान किए गए हैं या किए जाने हैं ।

(ग) ऐसे किसी सीमाशुल्क संघ, मुक्त व्यापार क्षेत्र या सदृश व्यवस्थाओं से होने वाले लाभ जिसे दोनों में से किसी एक सरकार ने निष्पादित किया है या भविष्य में निष्पादित करेगी ।

(घ) विकासशील देशों के बीच व्यापार एवं आर्थिक सहयोग के विस्तार हेतु किसी ऐसी स्कीम के अंतर्गत प्रदत्त लाभ या अधिमान जो सभी विकासशील देशों द्वारा भागीदारी के लिए खुली है और दोनों में से कोई सरकार उसका पक्ष है या बनेगी ।

अनुच्छेद-IV

दोनों देशों के बीच समस्त भुगतान मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में किए जाएँगे जो दोनों देशों में लागू विदेशी मुद्रा विनियम एवं अन्य संबंधित कानूनों, नियमों और विनियमों के अध्यधीन होंगे ।

अनुच्छेद-V

दोनों देशों के बीच व्यापार के और विकास के लिए संविदाकारी पक्ष किसी एक पक्ष के वाणिज्यिक एवं तकनीकी प्रतिनिधियों, समूहों और प्रतिनिधिमंडलों के दूसरे देश में दौरे तथा व्यापार मेलों में किसी एक पक्ष द्वारा भागीदारी अपने-अपने सक्षम प्राधिकरणों के बीच सहमत निबंधनों पर दूसरे पक्ष के भू-भाग में पहले पक्ष की प्रदर्शनियों की व्यवस्था को प्रोत्साहित करेंगे और उसे सुकर बनाएँगे ।

मेलों और प्रदर्शनियों के लिए अभिप्रेत वस्तुओं एवं नमूनों तथा उनकी बिक्री एवं निपटान पर सीमाशुल्क और अन्य सदृश प्रभारों से छूट उस देश के कानूनों एवं विनियमों के अध्यधीन होगी जहाँ मेलों एवं प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है ।

अनुच्छेद-VI

उपर्युक्त प्रावधानों के होते हुए भी प्रत्येक पक्षकार निम्नलिखित के प्रयोजनार्थ आवश्यक ऐसे प्रतिबंध को बनाए रखेगा या उन्हें शुरू करेगा :

(क) सार्वजनिक नैतिकता की सुरक्षा;

(ख) मानव, पशु एवं पादप जीवन की रक्षा;

(ग) राष्ट्रीय संपदा की रक्षा करना;

(घ) स्वर्ण एवं रजत बुलियन के आयात एवं निर्यात से संबंधित कानूनों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना; और

(ड.) ऐसे अन्य हितों की रक्षा करना जिनके संबंध में परस्पर सहमति व्यक्त की गई है ।

अनुच्छेद-VII

दूसरे संविदाकारी पक्ष के पत्तनों में प्रवेश करने, ठहरने और पत्तन छोड़ने के समय तथा उन पत्तनों में उपलब्ध सुविधाओं के प्रयोग के संबंध में किसी भी संविदाकारी पक्ष के मर्चेंट कार्गो वाहनों को उक्त दूसरे पक्ष में प्रभावी कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुरूप परममित्र राष्ट्र व्यवहार प्रदान किया जाएगा ।

पिछले पैराग्राफ के प्रावधान प्रत्येक संविदाकारी पक्ष द्वारा अपने उद्यमों के संगठनों हेतु विधिक रूप से आरक्षित मत्स्यन, तटीय व्यापार और अंतर्देशीय नौवहन सहित समुद्री कार्यकलापों पर लागू नहीं होंगे ।

अनुच्छेद- VIII

इस करार के अन्य उपबंधों के होते हुए भी भारत गणराज्य की सरकार ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वह परंपरागत रूप से मालदीव को चुनिंदा अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति करती रही है, मालदीव को द्विपक्षीय रूप से निर्धारित की जाने वाली वस्तुओं चाहे वे प्रतिबंधित अथवा नियंत्रित श्रेणी और निम्नलिखित अनुच्छेद- IX की शर्तों के अंतर्गत शामिल हों, की विनिर्दिष्ट मात्रा की आपूर्ति को सुकर बनाने के प्रति सहमति व्यक्त की है ।

अनुच्छेद- IX

अनुच्छेद VIII के उपबंधों को पूरा करने के लिए संविदाकारी पक्षों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि मालदीव गणराज्य की सरकार भारत गणराज्य की सरकार को भारत द्वारा अपेक्षित अनिवार्य वस्तुओं की सूची किसी कैलेंडर वर्ष में उस वर्ष जिसके लिए माँग की गई है, से पहले वर्ष के नवम्बर माह के अंत तक प्रस्तुत करेगी । आपूर्ति संबंधी उपलब्धता और मालदीव गणराज्य सरकार

की समग्र आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत गणराज्य की सरकार द्वारा दिसम्बर के अंत तक अगले कैलेंडर वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट कोटा आवंटन किया जाएगा ।

अनुच्छेद- X

इस करार के कार्यान्वयन को सुकर बनाने के उद्देश्य से दोनों सरकारें आवश्यक होने पर एक-दूसरे से परामर्श करेंगी ।

अनुच्छेद XI

यह करार दिनांक 31 मार्च,1981 से प्रभावी होगा । यह एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा । तत्पश्चात यह करार संशोधित किए जाने अथवा किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को तीन माह का नोटिस देकर रद्द किए जाने तक लागू रहेगा ।

माले में दिनांक 31 मार्च, 1981 को हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषाओं में दो मूल प्रतियों में निष्पादित । दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । संदेह की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।

हस्ता/-
(खुर्शीद आलम खान)
राज्य मंत्री, वाणिज्य मंत्रालय
भारत गणराज्य की सरकार

हस्ता/-
(अब्दुल सत्तार)
मात्स्यिकी मंत्री
मालदीव गणराज्य की सरकार